

## केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

विधि भाग I (पुस्तक सहित)--प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

समय--1.30 घंटे ।

पूर्णांक--100  
उत्तीर्णांक--60Part 'A' / खण्ड 'क'  
Objective Type Question/वस्तुनिष्ठ प्रश्न

50

*Answer all Questions. Only one answer among alternatives of each Question is correct. No negative marks will be given for wrong answer. Each Question carries two marks.*

*Candidates may answer the Question in Hindi.*

सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में कोई एक ही सही है । गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे । प्रत्येक प्रश्न दो अंक के हैं ।

1. Public prosecutor for every district is appointed by—

- (a) High court  (b) District and Session Judge   
(c) The State Government  (d) Bihar Public Service Commission

प्रत्येक जिला के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है--

- (क) उच्च न्यायालय  (ख) जिला एवं सत्र न्यायाधीश   
(ग) राज्य सरकार  (घ) बिहार लोक सेवा आयोग

2. Bailable offence means an offence—

- (a) In which station house officer of Police Station can arrest without warrant.   
(b) In which only court of Chief Judicial Magistrate is authorised to grant bail.   
(c) In which only High Court is authorised to grant bail.   
(d) Which is shown as bailable in the first schedule of Cr. P.C. or which is made bailable by any other law for the time being inforce.

जमानतीय अपराध से अभिप्रेत ऐसे अपराध से है--

- (क) जिसमें पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है   
(ख) जिसमें सिर्फ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का न्यायालय ही जमानत देने में सक्षम है   
(ग) जिसमें सिर्फ उच्च न्यायालय ही जमानत देने में सक्षम है   
(घ) जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है ।

3. Proceedings under 107 Cr. P.C. may be taken up before —

- (a) Superintendent of Police   
(b) Station House officer of Police Station   
(c) District and Session Judge   
(d) Executive Magistrate

P.T.O.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही किसके समक्ष चलायी जा सकती है--

- (क) पुलिस अधीक्षक  (ख) पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी   
 (ग) जिला एवं सत्र न्यायधीश  (घ) कार्यपालक दण्डाधिकारी

4. No order under Section 144 of Cr. P.C. shall remain inforce for more than —

- (a) Two months from making thereof   
 (b) Three months from making thereof   
 (c) Four months from making thereof   
 (d) Six months from making thereof

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने के तारीख से कबतक प्रवृत्त रहेगा--

- (क) आदेश दिए जाने की तिथि से दो माह   
 (ख) आदेश दिए जाने की तिथि से तीन माह   
 (ग) आदेश दिए जाने की तिथि से चार माह   
 (घ) आदेश दिए जाने की तिथि से छः माह

5. In case of violation of Prohibitory order under Section 145 of Cr. P.C. —

- (a) Station House Officer of Police Station shall arrest the violators after obtaining warrant of arrest from Superintendent of Police   
 (b) Station House officer of Police Station shall arrest the violators after obtaining warrant of arrest from Executive Magistrate.   
 (c) Executive Magistrate shall start trial of the violaters in his own court.   
 (d) Executive Magistrate has to prefer complaint under Section 188 of I.P.C

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन पारित प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन की स्थिति में--

- (क) पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी पुलिस अधीक्षक से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करेगा।   
 (ख) पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी कार्यपालक दण्डाधिकारी से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करेगा।   
 (ग) कार्यपालक दण्डाधिकारी अपने न्यायालय में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।   
 (घ) कार्यपालक दण्डाधिकारी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत परिवाद दायर करना होगा।

6. Attempt to commit suicide---

- (a) Is not an offence   
 (b) Is an offence punishable with vigorous imprisonment for a term not less than 5 Years   
 (c) Is an offence punishable with life imprisonment   
 (d) Is an offence punishable with simple imprisonment for a term which may extent to one year or with fine or with both.

आत्महत्या करने का प्रयत्न--

- (क) कोई अपराध नहीं है   
 (ख) ऐसा अपराध है जिसमें कम-से-कम पांच साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा   
 (ग) ऐसा अपराध है जिसमें आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा   
 (घ) ऐसा अपराध है जिसमें सादा कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

7. Under provisions of I.P.C. the word "Government" Denotes—

- (a) Only the Central Government
- (b) Only the State Government
- (c) The Central Government or the Government of a State
- (d) The Central Government or the Government of a State or District Magistrate of a district.

भारतीय दण्ड संहिता के तहत "सरकार" शब्द से अभिप्रेत है—

- (क) केवल केन्द्रीय सरकार
- (ख) केवल किसी राज्य की सरकार
- (ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार
- (घ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या जिला का जिला मजिस्ट्रेट

8. Affray is Committed —

- (a) When a person creates nuisance in Public Place
- (b) When a person commits an offence of theft in Public Place
- (c) When two or more persons commit an offence of theft in Public Place
- (d) When two or more persons by fighting in a Public Place disturb the Public Peace.

दंगा किया जाना तब माना जायेगा—

- (क) जब कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान पर उत्पात करता है
- (ख) जब कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान पर चोरी का अपराध करता है
- (ग) जब दो या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर चोरी का अपराध करते हैं
- (घ) जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं

9. The legal ingredient of unlawful assembly is —

- (a) Common arms  (b) Common badges
- (c) Common pathway  (d) Common objective.

विधि विरुद्ध जमाव के लिए कानूनी अवयव है—

- (क) समान आयुध  (ख) समान बिल्ला
- (ग) समान रास्ता  (घ) समान उद्देश्य

10. Crime of theft relates to —

- (a) Movable Property  (b) Immovable Property
- (c) Human Body  (d) Both movable and Immovable Property.

चोरी का अपराध किससे संबंधित है—

- (क) चल सम्पत्ति  (ख) अचल सम्पत्ति
- (ग) मानव शरीर  (घ) दोनों चल एवं अचल सम्पत्ति

11. Dacoity takes place when committed by —

- (a) One to two persons  (b) Two to three persons
- (c) Three to four persons  (d) Five or more persons

डकैती होना तब माना जाता है जब—

- (क) एक से दो व्यक्तियों द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है
- (ख) दो से तीन व्यक्तियों द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है
- (ग) तीन से चार व्यक्तियों द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है
- (घ) पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है

12. In all robbery —

- (a) There is a dacoity   
 (b) There is offence against the State   
 (c) There is offence against the Government   
 (d) There is either theft or extortion.

सभी लूट में—

- (क) डकैती शामिल है   
 (ख) राज्य के खिलाफ अपराध है   
 (ग) लोक स्वास्थ्य के खिलाफ अपराध है   
 (घ) या तो चोरी या उद्दापन होता है

13. Documents under Indian Evidence Act have been classified into —

- (a) Two types  (b) Three types   
 (c) Four types  (d) Five types.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेजों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है—

- (क) दो प्रकार  (ख) तीन प्रकार   
 (ग) चार प्रकार  (घ) पांच प्रकार

14. Burden of proving Benami rests on —

- (a) The Court   
 (b) The person who makes such an assertion   
 (c) The person who opposes such an assertion   
 (d) Independent witness.

बेनामी साबित करने का भार किस पर होता है—

- (क) न्यायालय   
 (ख) व्यक्ति जो ऐसा दावा करता है   
 (ग) व्यक्ति जो ऐसे दावे का विरोध करता है   
 (घ) स्वतंत्र गवाह

15. Who is to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. —

- (a) Public Prosecutor  (b) Concerned Parties   
 (c) Witness himself  (d) The Court.

कौन विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जायेगा—

- (क) लोक अभियोजक  (ख) संबंधित पक्षकार   
 (ग) स्वयं गवाह  (घ) न्यायालय

16. Under provisions of Indian Evidence Acts entry in official records—

- (a) Need be proved by the Court   
 (b) Need not be proved   
 (c) Need be proved by Public Prosecutor   
 (d) Need be proved by Independent witness.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी राजकीय अभिलेख में की गयी प्रविष्टि को—

- (क) न्यायालय द्वारा साबित किया जाना है   
 (ख) साबित नहीं किया जाना है   
 (ग) लोक अभियोजक द्वारा साबित किया जाना है   
 (घ) स्वतंत्र गवाह द्वारा साबित किया जाना है

17. Under provisions of the Arms Act, 1959, Magistrate means—
- (a) Judicial Magistrate
- (b) Superintendent of Police
- (c) Executive Magistrate under Cr. P.C., 1973
- (d) Station House Officer of Police Station.
- आर्म्स ऐक्ट, 1959 के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट का अर्थ है—
- (क) न्यायिक दण्डाधिकारी
- (ख) पुलिस अधीक्षक
- (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी
- (घ) पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी
18. No person other than a person referred to in Sub-section 3 of Section 3 of the Arms Act, 1959 shall acquire at any time more than—
- (a) One firearm  (b) Two firearms
- (c) Three firearms  (d) Four firearms.
- आर्म्स ऐक्ट, 1959 की धारा 3, की उप-धारा, के अधीन कोई भी व्यक्ति सिवाय वैसे व्यक्ति जिन्हें उप-धारा 3 में वर्णित किया गया है, एक बार में कितने अग्निशस्त्र अर्जित कर सकता है—
- (क) एक अग्निशस्त्र  (ख) दो अग्निशस्त्र
- (ग) तीन अग्निशस्त्र  (घ) चार अग्निशस्त्र
19. License of non-prohibited weapon will be deemed to have been granted if no order is passed on an application for grants of arms license within—
- (a) Three Months  (b) Six Months
- (c) Nine Months  (d) One Year
- गैर-प्रतिषिद्ध आयुध की अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पर कितने माह तक आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति मंजूर किया माना जायेगा—
- (क) एक माह  (ख) छः माह
- (ग) नौ माह  (घ) एक वर्ष
20. A licence under Section 3 of the Arms Act, 1959 shall unless revoked earlier, continue inforce for a period of —
- (a) One year from the date on which it is granted
- (b) Two years from the date on which it is granted
- (c) Three years from the date on which it is granted
- (d) Four years from the date on which it is granted.
- आर्म्स ऐक्ट, 1959 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अनुज्ञप्ति त्रशर्तों की पहले ही रद्द न किया जाए, कितने दिनों तक प्रवृत्त रहता है—
- (क) अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष
- (ख) अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष
- (ग) अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष
- (घ) अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से चार वर्ष
21. Who is empowered to demand the production of his licence from any person who is carrying any arms or ammunition—
- (a) Revenue officer
- (b) Public Prosecutor
- (c) Any Police officer or any other officer specially empowered in this behalf by Central Government
- (d) Any Development Officer.
- आयुध अथवा गोलाबारूद धारित करने वाले व्यक्ति से उसके अनुज्ञप्ति को उपस्थापित करने की मांग करने का अधिकार किस है—
- (क) राजस्व पदाधिकारी
- (ख) लोक अभियोजक
- (ग) कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संदर्भ में विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो
- (घ) विकास पदाधिकारी ।

## 22. Injuries caused by 'Bhala'—

- (a) Is punishable under Sub-section 1A of Section 25 of the Arms Act, 1959
- (b) Is punishable under Sub-section 1AA of Section 25 of the Arms Act, 1959
- (c) Is punishable under Sub-section 1AAA of Section 25 of the Arms Act, 1959
- (d) Is not punishable under provision of the Arms Act, 1959.

भाला द्वारा आघात पहचाना—

- (क) आर्म्स ऐक्ट, 1959 की धारा 25 की उप-धारा 1A के तहत दण्डनीय है
- (ख) आर्म्स ऐक्ट, 1959 की धारा 25 की उप-धारा 1AA के तहत दण्डनीय है
- (ग) आर्म्स ऐक्ट, 1959 की धारा 25 की उप-धारा 1AAA के तहत दण्डनीय है
- (घ) आर्म्स ऐक्ट, 1959 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय नहीं है

## 23. The licence for deadly arms—

- (a) Should not be granted by licensing authority
- (b) Should be granted by licensing authority after taking permission from higher authority
- (c) Should be granted by licensing authority at his own free will
- (d) Should be granted only after great care and caution.

घातक आयुध की अनुज्ञप्ति—

- (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए
- (ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपने उच्चतर पदाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार दिया जाना चाहिए
- (घ) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा काफी care एवं caution के बाद दिया जाना चाहिए

## 24. "Tari" means—

- (a) Spirit
- (b) Charas
- (c) Pachwai
- (d) Ferment or unfermented juice drawn from cocoanut, palmyra, date or other kind of palm tree

ताड़ी का अर्थ है—

- (क) स्पिरिट
- (ख) चरस
- (ग) पचवई
- (घ) कोकोनट, ताड़, खजूर या अन्य प्रकार के ताड़ के वृक्षों से निकाला जाने वाला खमीरीय या अखमीरीय रस।

## 25. The Village by which every pound is to be used shall be determined by—

- (a) Superintendent of Police
- (b) Sub-divisional Magistrate
- (c) Station House Officer of Police Station
- (d) Magistrate of the District.

गांव जिसके द्वारा हर Pound (पशु अवरोध या कांजी हाऊस) का इस्तेमाल किया जाता है, का निर्धारण कौन करता है—

- (क) पुलिस अधीक्षक
- (ख) अनुमण्डल दण्डाधिकारी
- (ग) पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी
- (घ) जिला दण्डाधिकारी

*Answer any five questions, each question should be answered in about 100 words.  
Each question carries 4 (four) Marks.*

किन्ही पांच प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न चार अंक के हैं।

1. Describe Provisions relating to previous sanction for prosecution in prevention of Corruption Act, 1988.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन पूर्व की स्वीकृति से संबंधित उपबंधों को वर्णित करें।

2. Describe Provisions relating to relevancy of statements as to any law contained in Law Books.

विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि कथनों की सुसंगति से संबंधित उपबंधों को वर्णित करें।

3. Define Public Documents. What are distinctions between Public Documents and Private Documents.

लोक दस्तावेज की परिभाषा क्या है? लोक दस्तावेज तथा प्राइवेट दस्तावेज में क्या भेद है?

4. What are provisions regarding trespassing on burial places etc. and uttering words etc. with deliberate intent to wound religious feeling.

कब्रिस्तानों में अतिचार करना तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करने आदि से संबंधित उपबंध क्या है?

5. What are provisions relating to act done in good faith for benefit of Child or insane person by or by consent of Guardians.

संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्ण किये गये कार्यों से संबंधित उपबंध क्या है?

6. What are provisions relating to inquiry by Magistrate into cause of Death.

मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से संबंधित उपबंध क्या है?

7. What are Provisions relating to attachment of property of person absconding.

फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की से संबंधित उपबंध क्या है?

8. What are Provisions relating to license for Import and Export of Arms etc.

आयुध आदि के आयात एवं निर्यात के अनुज्ञप्ति से संबंधित उपबंध क्या है?

*Answer any three questions, Each question carries 10 (ten) marks. There is no limitation of words in giving answer.*

किन्ही तीन प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के हैं। उत्तर देने में शब्दों की कोई सीमा नहीं है।

1. Describe provisions regarding "Security for Keeping the Peace and for Good Behaviour" in Code of Criminal Procedure, 1973.  
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में "परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति" से संबंधित उपबंध क्या है ?
2. Describe provisions regarding power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger in Code of Criminal Procedure, 1973.  
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित उपबंध क्या है ?
3. Describe offences relating to Elections in I.P.C.  
भारतीय दण्ड संहिता में निर्वाचन के अपराध से संबंधित उपबंध क्या है ?
4. What are provisions relating to culpable homicide and murder in I.P.C.  
भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक मानववध तथा हत्या से संबंधित उपबंध क्या है ?
5. What are provisions relating to statement by persons who cannot be called as witness in the Indian Evidence Act, 1872.  
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में हेतु गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है, से संबंधित उपबंध क्या है ?
6. What are provisions relating to grant of licences, refusal of licences and variation, suspension and revocation of licences in the Explosives Act, 1984.  
एक्सप्लोसिभ्स ऐक्ट, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने, अनुज्ञप्ति इन्कार करने तथा अनुज्ञप्ति के निलंबन एवं रद्द करने संबंधी उपबंध क्या है ?